

नया रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2016

CHATTISGARH

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2016/1/5. — भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाशों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित दिन भी वर्ष 2017 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :-

सार्वजनिक अवकाश (अनुसूची)

क्रमांक	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 6, 1938	गुरुवार
2.	महाशिवरात्रि	एक	24 फरवरी	फाल्गुन 5, 1938	शुक्रवार
3.	होली	एक	13 मार्च	फाल्गुन 22, 1938	सोमवार
4.	बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी	एक	01 अप्रैल	चैत्र 11, 1939	शनिवार
5.	बुद्ध पूर्णिमा	एक	10 मई	वैशाख 20, 1939	बुधवार
6.	ईद-उल-फितर	एक	26 जून	आषाढ़ 5, 1939	सोमवार
7.	स्वतंत्रता दिवस	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1939	मंगलवार
8.	कृष्ण जन्माष्टमी	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1939	मंगलवार
9.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	एक	02 सितम्बर	भाद्रपद 11, 1939	शनिवार
10.	दशहरा (विजयादशमी)	एक	30 सितम्बर	आश्विन 8, 1939	शनिवार
11.	गांधी जयंती	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1939	सोमवार
12.	दीपावली	एक	19 अक्टूबर	आश्विन 28, 1939	गुरुवार
13.	गुरुनानक जयंती	एक	04 नवम्बर	कार्तिक 13, 1939	शनिवार
14.	ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)	एक	02 दिसम्बर	अग्रहायण 11, 1939	शनिवार
15.	क्रिसमस डे	एक	25 दिसम्बर	पौष 4, 1939	सोमवार

टीप :-

(1) निम्नलिखित अवकाश के दिन रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किये गये हैं :-

1.	महावीर जयंती	09 अप्रैल	चैत्र 19, 1939
2.	मोहर्म्म	01 अक्टूबर	आश्विन 9, 1939

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, उप-सचिव.